

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)( )डीएलबी/2020/6032

दिनांक: 2-5-2022

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री निशान्त पुत्र श्री देव किशन उपाध्याय अधिवक्ता (रजि. नं. आर/2479 /2014) को नगर पालिका परतापुर-गढी जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की प्रभावी पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत गार्सिक मानदेय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.2013 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.2014 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर पालिका परतापुर-गढी जिला बांसवाड़ा से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(हृदेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)( )डीएलबी/2020/6033 - 6041

दिनांक: 2-5-2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर।
5. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परतापुर-गढी जिला बांसवाड़ा
6. श्री निशान्त पुत्र श्री देव किशन उपाध्याय अधिवक्ता मार्फत नगर पालिका परतापुर-गढी।
7. प्रोग्रामर, IT सेल निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय माथुर)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी